

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

अध्यात्म विभाग

दिनांक: 20-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
22	तारांकित प्रश्न सं.7 (प्रश्न क्रं.25) दि. 20-02-2019 (श्री संजय सत्येन्द्र पाठक)	प्रदेश के शेष रहे शासकीय सूची में शामिल पुजारियों को मानदेय का भुगतान किया जाना ।	उसमें अगर ये छूट रहे होंगे तो उनको निश्चित तौर पर लिया जाएगा ।		
23	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.85 (प्रश्न क्रं.605) दि. 20-02-2019 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	महिदपुर विधान सभा क्षेत्र के बाबा रामदेव मंदिर पाताखेड़ी एवं झरावदेश्वर महादेव मंदिर झरावदा के प्राक्कलन प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाना ।	स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

दिनांक: 20-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
24	अतारंकित प्रश्न सं.34 (प्रश्न क्रं.345) दि. 20-02-2019 (श्री विक्रम सिंह राणा गुड्डू भैया)	सुसनेर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम लालूखेड़ी में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की कार्यवाही की जाना ।	शासन से स्वीकृति उपरांत औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की कार्यवाही की जावेगी ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

दिनांक: 20-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
25	तारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.464) दि. 20-02-2019 (श्री के.पी. सिंह "कक्काजू")	(1) शिवपुरी जिले में शैक्षणिक पदों पर की गई भर्ती में हुई अनियमितता की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही। (2) प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के गैर-शैक्षणिक पद भरे जाने की प्राप्त शिकायतों पर हुई अनियमितता पर कार्यवाही। (3) प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए बनी मेरिट लिस्ट में हुई अनियमितता की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना। (4) प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के विभिन्न पदों की भर्ती में हुई अनियमितता की जांच।	(1) जाँच महाविद्यालय की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष एवं संभागायुक्त, ग्वालियर द्वारा कराई जा रही होना प्रतिवेदित है। (2) स्कूटनिंग चल रही है और स्कूटनिंग खत्म होने के बाद हम इन पदों की भर्ती करेंगे। (3) सक्षम अधिकारी हैं उनसे हम लोग इसका परीक्षण करवा लेंगे और इसकी जांच करवा लेंगे और संबंधित विधायक जी को उससे अवगत करवा देंगे। (4) एक व्यक्ति विशेष के बारे में पार्टिकुलर पाइंट आउट किया है और हम लोग माननीय विधायक जी की उपस्थिति में उसको दिखवा लेंगे. भोपाल से वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर जांच करा लेंगे।		
26	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.19 (प्रश्न क्रं.147) दि. 20-02-2019 (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया)	नवीन मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में की गई अनियमितता की प्राप्त शिकायतों की जांच एवं जांच के आधार पर संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	संभागीय आयुक्त, ग्वालियर को जाँच हेतु लिखा गया है। जाँच प्रगतिरत है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन**

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

दिनांक: 20-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
27	तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.225) दि. 20-02-2019 (श्री वृजेन्द्र प्रताप सिंह)	जिला मुख्यालय पन्ना एवं रायसेन में नवीन शासकीय इंजीनियर महाविद्यालय खोला जाना।	(1) इस पर अगली कार्यवाही करेंगे और अतिशीघ्र महाविद्यालय खोलेंगे। (2) हम अतिशीघ्र महाविद्यालय खोलेंगे। (3) अतिशीघ्र करेंगे।		
28	तारांकित प्रश्न सं.25 (प्रश्न क्रं.437) दि. 20-02-2019 (श्री पुरुषोत्तम तंतुवाय)	प्रदेश के युवाओं को शासन की घोषणानुसार बेरोजगारों को रोजगार भत्तों का प्रदाय किया जाना।	शासन द्वारा युवा स्वाभिमान योजना प्रारंभ की जा रही है।		
29	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.59 (प्रश्न क्रं.486) दि. 20-02-2019 (श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी)	भीकनगांव विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रारंभ किया जाना।	आई.टी.आई. भीकनगाँव में महिलाओं के स्वरोजगार से संबंधित ट्रेड प्रारंभ करने हेतु विचार किया जाएगा।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

पर्यटन विभाग

दिनांक: 20-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
30	अतारांकित प्रश्न सं.28 (प्रश्न क्रं.276) दि. 20-02-2019 (श्री राकेश गिरि)	टीकमगढ़ जिले की बगाज माता मंदिर के रख-रखाव एवं आय-व्यय की जिम्मेदारी तय करने हेतु ट्रस्ट गठन की कार्यवाही की जाना ।	प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत विचारधीन है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

दिनांक: 20-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
31	अतारांकित प्रश्न सं.57 (प्रश्न क्र.438) दि. 20-02-2019 (श्री पुरुषोत्तम तंतुवाय)	(1) मध्यप्रदेश जन-अभियान परिषद बंद किये जाने संबंधी कार्यवाही के संबंध में । (2) मध्यप्रदेश की सभी विकासखण्ड में कार्यरत मेन्टर के मानदेय का भुगतान संबंधी कार्यवाही शीघ्र की जाना ।	(1) जी हाँ। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद की कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव विचाराधीन है । (2) प्रकरण (म.प्र. जन अभियान परिषद की कार्यकारिणी समिति) विचाराधीन है ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन**

राजस्व विभाग

दिनांक: 20-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
32	ध्यानाकर्षण (सूचना क्र.51) दि. 20-02-2019 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	(1) उज्जैन जिले के तहसील अंतर्गत अवैध उत्खनन के प्रकरण में अर्थदण्ड की वसूली न किये जाने के संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच कर जांच के आधार पर संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना । (2) कुर्की आदेश जारी कर वसूली की कार्यवाही की जाना । (3) अवैध उत्खनन के प्रकरण में दोषियों की चल/अचल संपत्ति कुर्क कर अर्थदण्ड की राशि वसूल की जाना ।	(1) मैं कमिश्नर के स्तर पर समिति बनाकर एक माह में जांच करा दूंगा । (2) कुर्की की कार्यवाही कर इसकी जांच प्रारंभ कर दी जायेगी । (3) मैंने कहा है, माननीय सदस्य समझने का प्रयास करें, माननीय न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए, मैंने कहा ना कि एक माह के अंदर कार्यवाही प्रारंभ कर दी जायेगी ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

दिनांक: 20-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
33	तारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.585) दि. 20-02-2019 (श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया))	(1) जिला अस्पताल नरसिंहपुर के सिविल सर्जन द्वारा भ्रष्टाचार एवं अनियमितता किये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जाना। (2) जिला अस्पताल नरसिंहपुर के सिविल सर्जन द्वारा पूर्व में सी.एम.एच.ओ. रहते हुए की गई अनियमितता के कारण चिकित्सालय से हटाया जाने की कार्यवाही की जाना। (3) जिला अस्पताल नरसिंहपुर के सिविल सर्जन द्वारा पूर्व में सी.एम.एच.ओ. रहते हुए की गई अनियमितता के कारण चिकित्सालय से हटाया जाने की कार्यवाही की जाना।	(1) उसकी गंभीरता को देखते हुए आपकी भावनाओं के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है। (2) माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी है उस पर पूरी कार्यवाही की जायेगी.समुचित कार्यवाही की जायेगी। (3) स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा जांच गठित कर दी गई है. डॉ.विजय मिश्रा एवं डॉ.सागरिया को भी आरोपपत्र हमने जारी कर दिये हैं।		
34	तारांकित प्रश्न सं.19 (प्रश्न क्रं.214) दि. 20-02-2019 (श्री के.पी. त्रिपाठी)	रीवा जिले के नगर पंचायत सेमरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन किया जाना।	प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी।		
35	तारांकित प्रश्न सं.24 (प्रश्न क्रं.408) दि. 20-02-2019 (श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी)	डॉ. मुरली अग्रवाल के पूर्व पदस्थी काल के दौरान की गई वित्तीय एवं मौखिक अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने संबंधी।	जाँच प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।		
36	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.64 (प्रश्न क्रं.517) दि. 20-02-2019 (श्री रामकिशोर (नानो) कावरे)	जिला बालाघाट अंतर्गत चिकित्सालयों एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में साफ-सफाई करने वाले कर्मचारियों को मासिक मानदेय भुगतान एवं ई.पी.एफ. तथा मासिक तनख्वाह भुगतान में की गई अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही।	जाँच उपरान्त गुणदोष के आधार पर निमयानुसार कार्यवाही की जावेगी।		
37	अतारांकित प्रश्न सं.78 (प्रश्न क्रं.519) दि. 20-02-2019 (श्री रामकिशोर (नानो) कावरे)	परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के लामता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया जाना।	परीक्षणाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

वाणिज्यिक कर विभाग

दिनांक: 20-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
38	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.33 (प्रश्न क्र.287) दि. 20-02-2019 (श्री प्रदीप पटेल)	धार जिले के वर्तमान में पदस्थ श्री संजीव कुमार दुबे, सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा पूर्व में इंदौर में शराब के ठेकों में की गई वित्तीय अनियमितता की जांच तथा जांच के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	श्री संजीव कुमार दुबे एवं अन्य के विरुद्ध उक्त अनियमितताओं हेतु विधिवत विभागीय जाँच संस्थित है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

वित्त विभाग

दिनांक: 20-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
39	अतारांकित प्रश्न सं.44 (प्रश्न क्रं.395) दि. 20-02-2019 (श्री अनिल जैन)	निवाड़ी जिले के जिला उप कोषालय का उन्नयन कर जिला कोषालय शीघ्र बनाया जाना ।	निवाड़ी जिले के लिए पूर्व से स्थापित उपकोषालय को उन्नयन कर जिला कोषालय स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलित की जा चुकी है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

स्कूल शिक्षा विभाग

दिनांक: 20-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
40	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.40 (प्रश्न क्रं.340) दि. 20-02-2019 (श्री विक्रम सिंह राणा गुड्डू भैया)	विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत हाईस्कूल बटाई, देहरिया सुसनेर, चापाखेड़ा में नवीन उ.मा.वि. एवं नगर सुसनेर में नवीन हाई स्कूल खोला जाना तथा अध्यापक संवर्ग के शिक्षा विभाग में संविलियन उपरांत स्थानान्तरण नीति बनाये जाने की कार्यवाही की जाना।	(1) (क) से (ग) प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है। (2) अध्यापक संवर्ग के शिक्षा विभाग में संविलियन उपरांत कार्यवाही परीक्षाधीन है।		
41	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.48 (प्रश्न क्रं.420) दि. 20-02-2019 (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया)	(1) प्रदेश के सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाना। (2) संविलियन के पश्चात् शासकीय कर्मचारियों के समान सुविधायें प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जाना। (3) प्रदेश के सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक संविलियन पश्चात् प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकारी दी जाना।	(1) सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापकों को शिक्षा विभाग में नियुक्त किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। (2) 1.53 लाख अध्यापकों के आदेश जारी किये जा चुके हैं। सेवा शर्तों के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। (3) प्रकरण परीक्षाधीन है।		
42	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.51 (प्रश्न क्रं.431) दि. 20-02-2019 (श्री संजय शाह मकड़ाई)	हरदा जिले के विधान सभा क्षेत्र टिमरनी अंतर्गत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवनों के अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूरा कराया जाना।	निर्माण एजेंसी से वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है; राशि वसूल कर कार्य पूर्ण किया जावेगा।		
43	अतारंकित प्रश्न सं.20 (प्रश्न क्रं.178) दि. 20-02-2019 (श्री संजय यादव (सिवनी टोला))	बरगी विधान सभा क्षेत्र में हाई स्कूल स्थापित किया जाना।	निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रत्येक बसाहट के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध है एवं हाईस्कूल हेतु सर्वे प्रक्रियाधीन है।		
44	अतारंकित प्रश्न सं.77 (प्रश्न क्रं.512) दि. 20-02-2019 (श्री ठाकुर दास नागवंशी)	विधान सभा क्षेत्र पिपरिया अंतर्गत शिक्षकों/सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति, समयमान वेतन दिये जाने की कार्यवाही की जाना।	संबंधित शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन**

संस्कृति विभाग

दिनांक: 20-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
45	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.67 (प्रश्न क्रं.522) दि. 20-02-2019 (श्री उमाकांत शर्मा)	(1) विदिशा जिले के सिरोंज विकासखण्ड के ग्राम वीरपुर में श्री महमाई मंदिर संग्रहालय निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण तथा निर्माण किये जाने में विलंब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में। (2) संग्रहालय निर्माण के लिये पुनरीक्षित स्वीकृति राशि में हुए विलंब के लिये दोषी पर कार्यवाही की जाना।	(1) डी.पी.आर. तैयार करने में लगे समय तथा उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन तथा जी.एस.टी. के नवीन प्रावधान लागू होने के कारण पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग हेतु अतिरिक्त राशि की मांग के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया प्रचलन में है। (2) प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 01.02.2017 को जारी की गई. निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग विदिशा तय की गई. पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव दिनांक 06.10.2018 को प्राप्त हुआ. कार्यवाही प्रचलन में है।		
46	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.81 (प्रश्न क्रं.590) दि. 20-02-2019 (श्री कुणाल चौधरी)	(1) उज्जैन संभाग में मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 27.06.2018 को संपन्न बैठक में आगर-मालवा एवं नीमच जिले के कला मंडलियों को 25-25 हजार रुपये देने के निर्णय के संबंध में कार्यवाही की जाना। (2) उज्जैन संभाग के जिलावार कितनी मंडलियों को प्रदान की गई राशि के उपभोगता प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं कि जानकारी दी जाना।	(1) आगर-मालवा एवं नीमच जिले से कार्यवाही विवरण प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। (2) उज्जैन आगर-मालवा मंदसौर जिले से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

सहकारिता विभाग

दिनांक: 20-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
47	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.14 (प्रश्न क्रं.79) दि. 20-02-2019 (श्री वीरेन्द्र रघुवंशी)	(1) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा खतौरा द्वारा खाता धारक किसान कमल सिंह, मुल्तान सिंह, बुन्देल सिंह एवं अन्य के ऋण खातों में प्रदाय ऋण राशि की गई अनियमितता की जांच। (2) किसान ऋण प्रदाय खातों में अधिक राशि दर्शाने में हुई अनियमितता के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) शेष जाँच निष्कर्षाधीन। (2) उत्तरांश 'ग' अनुसार जाँच उपरांत दोषी पाये जाने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।		
48	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.55 (प्रश्न क्रं.454) दि. 20-02-2019 (श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह)	पन्ना जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं जिले में उसकी विभिन्न शाखाओं में आर्थिक अनियमितता एवं गबन के प्रकरणों पर जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, म.प्र. एवं पुलिस अधीक्षक, जिला पन्ना से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रकरणों की विवेचना जारी है। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।		
49	अतारांकित प्रश्न सं.72 (प्रश्न क्रं.499) दि. 20-02-2019 (श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी)	भीकनगांव विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सहकारी बैंक कर्मचारियों की नियुक्ति में अपनाई गई प्रक्रिया की जांच की जाना।	शेष अनियमित प्रकरणों में जाँच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।		
50	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.236) दि. 20-02-2019 (श्री कमल पटेल)	हरदा एवं होशंगाबाद जिला सहकारी बैंक द्वारा कृषकों के नाम पर फर्जी ऋण कर गबन किये जाने के दोषियों के विरुद्ध जांच कर कार्यवाही की जाना।	(1) विस्तृत जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। (2) इस योजना के अंतर्गत अनियमितताओं में दोषी कर्मचारियों को कम दण्ड देकर छोड़े जाने की समीक्षा की जा रही है और इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। (3) हरदा जिले में प्रकाश में आये विभिन्न प्रकरणों में की गई कार्यवाहियों की पुनः समीक्षा की जायेगी और आवश्यक होने पर दोबारा कार्यवाही की जावेगी। (4) जहां तक ई.ओ.डब्ल्यू का सवाल है, प्रकरण दर्ज है। मैं आर्थिक ब्यूरो अनुसंधान को निर्देशित करता हूँ कि उन्होंने प्रकरण दर्ज किया है उस प्रकरण में तीन माह के अंदर पूरी जांच करके कार्यवाही करें। (5) हम प्रयास करेंगे और विभाग को निर्देशित करेंगे कि इनके विरुद्ध भी जिन लोगों ने संरक्षण दिया चाहे अधिकारी हो, चाहे बैंक के सदस्य हों और चाहे सहकारिता विभाग के हो, उनके खिलाफ भी 120 की कार्यवाही कर एफआईआर दर्ज कराई जाये।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन**

सामान्य प्रशासन विभाग

दिनांक: 20-02-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
51	तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.114) दि. 20-02-2019 (श्री संजीव सिंह (संजू))	भिण्ड जिले में सैनिक स्कूल की स्थापना की जाना।	चूंकि अभी राशि आई नहीं है इसलिये सैनिक स्कूल बनना इस वर्ष संभव नहीं हो रहा है. जैसे ही राशि आ जायेगी भवन बना देंगे।		
52	अतारांकित प्रश्न सं.30 (प्रश्न क्रं.303) दि. 20-02-2019 (श्री गिराज डण्डौतिया)	मुरैना जिले के जनवरी 2014 से दिसम्बर 2018 तक लंबित अनुकंपा नियुक्ति के शेष 109 प्रकरणों का निराकरण किया जाना।	प्रश्नाधीन अवधि में मुरैना जिलान्तर्गत अनुकंपा नियुक्ति के कुल 287 प्रकरण में से 178 प्रकरणों का निराकरण हो गया है, शेष 109 प्रकरण प्रक्रियाधीन है।		
53	अतारांकित प्रश्न सं.76 (प्रश्न क्रं.511) दि. 20-02-2019 (श्री ठाकुर दास नागवंशी)	संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में गार्डइलाइन का निर्धारण किया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		